

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: आदेश :—

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक No.F.(2) FD (Rules) 08 Part-1 Jaipur dated: 11 June 14 एवं 07-08-16 की पालना में निम्नलिखित व्याख्याता (प्रोवेशनर-ट्रेनी) का चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या	प्रकार
1	श्रीमती रूबीना, राउमावि विकासनगर, बून्दी	उर्दू	12.04.17 से 13.04.17	02 दिवस	अवैतनिक अवकाश
2	श्री अन्नत फागना, राउमावि आनन्दपुर, कालू पाली	अर्थशास्त्र	04.04.16 से 07.04.16	04 दिवस	अवैतनिक अवकाश
3	श्रीमती कमलेश काला, राउमावि केरवालिया, अटरू बांरा	समाजशास्त्र	07.03.17 से 19.03.17	13 दिवस	अवैतनिक अवकाश
4	सतीश कुमार किरोडीवाल, राउमावि डबली खुर्द, हनुमानगढ	समाजशास्त्र	02.04.16 से 06.04.16	05 दिवस	अवैतनिक अवकाश
5	सुश्री आंचल, राउमावि हरसौली-अलवर	अर्थशास्त्र	18.01.16 से 29.01.16 15.02.16 से 29.02.16 09.03.16 से 12.03.16 15.03.16 से 19.03.16 30.03.16 से 06.04.16 18.04.16 से 23.04.16	12 दिवस 15 दिवस 04 दिवस 05 दिवस 08 दिवस 06 दिवस	अवैतनिक अवकाश
योग			50		

कार्मिक के परिवीक्षाकाल में वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.14 के अनुसार 30 दिवस के अतिरिक्त लिए गये असाधारण अवकाश अवधि की वृद्धि होगी।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 09-06-2017

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/अवकाश/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. उपनिदेशक (मा) कोटा, पाली, बीकानेर, जयपुर
3. जिशिअ (मा) बून्दी, पाली, बांरा, हनुमानगढ, अलवर
4. संबंधित कार्मिक/प्रधाना
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग
6. गार्ड फंजिका



सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर